छठ पर्व को लेकर डीएम-एसपी ने की शांति समिति की बैठक

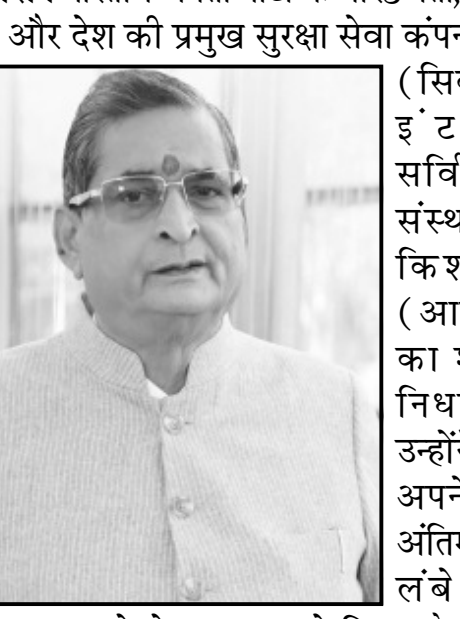
आरा (भोजपुर)। छठ पर्व के अवसर पर जिले में विधि-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी- सह-जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अनुमंडलाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित शांति समिति की बैठकों तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।इसके उपरांत शांति समिति के सदस्यों के साथ उनके क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। बैठक में प्रमुख रूप से छठ घाटों,



नदियों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों की साफ- सफाई, विद्युत आपूर्ति,सड़कों की मरम्मत एवं सुचारु यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता, चिकित्सा दल की तैनाती तथा एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शांति समिति के सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी छठ घाटों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं की समुचित तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि छठ महापर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,नगरआयुक्त आरा नगर निगम, सिविल सर्जन एवं अन्य वरीय पदाधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आरके सिन्हा के निधन से राजनीति के साथ उद्योग जगत भी आहत

आरा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और देश की प्रमुख सुरक्षा सेवा कंपनी एसआईएस



(सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज) के संस्थापक रविन्द्र किशोर सिन्हा (आरके सिन्हा) का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। मूल रुप से बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत बहियारा गांव निवासी रविंद्र किशोर सिन्हा को कुछ समय पहले ही ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी। उपचार के दौरान वह विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रहे। परिवार की ओर से लगातार उनके स्वस्थ होने की जानकारी साझा की जा रही थी, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को उनका निधन हो गया। आरके सिन्हा का पुरा नाम रविंद्र किशोर सिन्हा था, उनका जन्म 22 सितंबर 1951 को बिहार के भोजपुर जिले के कोईलवर प्रखंड अंतर्गत बहियारा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की रिपोर्टिंग कर अपनी अलग पहचान बनाई। पत्रकारिता छोड़ने के बाद उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से वर्ष 1974 में पटना के एक छोटे गैराज से सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (एसआईएस) की स्थापना की। शुरुआत में पूर्व सैनिकों को रोजगार देकर कंपनी की नींव रखी गई। बाद में यह संस्था देश की अग्रणी निजी सुरक्षा एजेंसियों में शामिल हो गई और विदेशों तक अपना विस्तार किया। एसैआईएस भारत समेत कई देशों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी कंपनी की मौजूदगी है। मामूली स्तर से शुरू हुई यह कंपनी लाखों लोगों को रोजगार देने वाली बड़ी कॉर्पोरेट संस्था के रूप में स्थापित हुई। आरके सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे।

गोरख डोम हत्याकांड के मुख्य नामजद मंजी डोम ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

सहार (भोजपुर)। सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव निवासी 75 वर्षीय गोरख डोम हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के करीब 100 घंटे बाद भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। हालांकि,पुलिस ने पटना के बिहटा,बक्सर जिला के बगेन तथा रोहतास जिला सोनवर्षा में छापेमारी के बाद भी पुलिस हाथ मलते रह गई तथा शुक्रवार दोपहर इस मामले के मुख्य नामजद आरोपी बरूहीं गांव निवासी ललन डोम के पुत्र मंजीत डोम उर्फ मंजी डोम ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने दी।गौरतलब है कि मृतक के पुत्र लालबाबू राम ने सोमवार को सहार थाने में आवेदन देकर मंजी डोम,कचहरी डोम, मुकेश डोम, राकेश और ददन समेत नौ लोगों को नामजद किया था। जानकारी के अनुसार, गोरख डोम बीते शुक्रवार को घर से लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। मृतक के पुत्र ने बरूहीं गांव के कुछ लोगों पर अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। बावजूद इसके बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल सका। बुधवार की शाम बरूहीं गांव के जंगल स्थित एक पुराने कुएं से दुर्गंध आने पर चरवाहों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया।

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।
(E-mail:- shlcdaurangabad@gmail.com)

शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 1178 दिनांक 14.10.2026 द्वारा निर्गत अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2026-27 जिसका PR No. 013920(WRD) 2026-27 में आंशिक संसोधन किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं-

1. क्र0 सं0 20, 21 एवं 31 को विलोपित समझा जाय।
2. क्र0 सं0 01 में दर्ज कार्य के समाप्ति का समय **माह मार्च 2027 के पूर्व** के स्थान पर **माह मार्च 2027** समझा जाए।
3. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 686 दिनांक 19.08.2014 एवं पत्रांक 200 दिनांक 14.03.2016 के अनुरूप दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। जो निम्नवत् हैं-

(i) निम्न आशय का शपथ-पत्र (निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) अपलोड करना अनिवार्य हैं। जो इस प्रकार है-

"I the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."

(ii) Availability of Key Personnel प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र।
(iii) Availability of key Equipment (Either owned or Leased or by Procurement) प्रमाण-पत्र।
(iv) Similar Nature of work(minimum 10% of Estimated Amount) Minimum one similar work का कार्यपालक अभियंता से निर्गत प्रमाण-पत्र।

शेष सभी नियम एवं शर्त्ते पूर्ववत् रहेगी। निविदा को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(ई0 नवल किशोर कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल,औरंगाबाद।

PR- 014444 (W R D) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

जनता दरबार में 23 आवेदकों की सुनी गई समस्याएं

आरा (भोजपुर)। जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा द्वारा आज ईज ऑफ लिविंग के तहत आयोजित जिला जनता दरबार में 23 से अधिक आवेदकों की समस्याएँ सुनी गई। जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें मुख्य रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार एवं शस्त्र से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन्होंने प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा में मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने किया जनसंख्या परिगणना प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ

आरा (भोजपुर)। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण-जनसंख्या परिगणना का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थित विद्या भवन सभागार में प्रारंभ हुआ।कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन प्रधान जनगणना पदाधिकारी- सह-जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पूर्व जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा पौधा देकर जिलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता का स्वागत किया गया।ज्ञातव्य हो कि जनगणना के प्रथम चरण -मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफलता पूर्वक संपन्न होने के उपरांत जनगणना के द्वितीय चरण -जनसंख्या गणना का कार्य अगले वर्ष फरवरी में प्रारंभ किया जाना है। इस चरण के अंतर्गत प्रगणक घर घर जाकर लोगो से उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के संबंध में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आंकड़े एकत्र करेंगे। द्वितीय चरण के प्रारंभ से पूर्व इसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में मास्टर ट्रेनरों, फील्ड ट्रेनरों, प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसी क्रम में जनगणना कार्य निदेशालय बिहार के निदेशानुसार जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं जनगणना से संबंधित लिपिकों तथा तकनीकी सहायकों के प्रशिक्षण के निमित्त विद्या भवन में 2 बैचों में प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है।कार्यशाला के प्रथम बैच में 30- 31 अक्टूबर को जिला स्तरीय पदाधिकारियों, सभी अनुमंडलाधिकारियों एवं सभी प्रखंडों एवं नगर निकायों के चार्ज पदाधिकारियो का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। 1-2 नवंबर को सभी चार्जों के लिपिक एवं तकनीकी सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।प्रशिक्षण के प्रथम दिन जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों दीपक कुमार और सत्येंद्र कुमार द्वारा सभी चार्ज पदाधिकारियो को जनसंख्या गणना की बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से जनगणना ऐप के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत

आरा (भोजपुर)। जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उगना गांव में शुक्रवार की सुबह तबियत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। इसके पश्चात पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के उगना गांव निवासी वशिष्ठ नारायण मिश्रा का 29 वर्षीय पुत्र बसंत कुमार मिश्रा है। इधर, वशिष्ठ नारायण मिश्र ने बताया कि वह काफी नशा करता था। जिसके कारण 28 अक्टूबर को उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। तब परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए पटना ले जाया गया। इसके बाद परिजन उसे वापस घर ले आये थे। इसी बीच शुक्रवार की सुबह उसकी मौत हो गई। तब परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। वहीं दूसरी तरफ मृतक के पिता वशिष्ठ नारायण मिश्र ने अधिक नाश करने व बीमार हो जाने के कारण अपने पुत्र की मौत होने की बात कही है। जबकि पुलिस द्वारा बनाए गए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृतक युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बताया जाता है कि मृतक अपने दो भाई व दो बहन में तीसरे स्थान पर था। उसके परिवार में मां मनोरमा देवी, दो बहन चंद्रकली देवी, मधु कुमारी एवं एक भाई मुकेश मिश्रा है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया।

Govt. of Bihar

BIHAR RAJYA BEEJ NIGAM LIMITED
(A Govt. of Bihar Undertaking)
An IS/ISO 9001:2015; IS/ISO 14001:2015; IS/ISO 37001:2016 Certified Company
3rd Floor, Krishi Bhawan, Mithapur, Patna-800001 (BIHAR)
Telephone: 0612 2547066 website: brbn.bihar.gov.in e-mail: brbn.bih.mail@gmail.com
CIN : U01111BR1977SGC 001294

NOTICE INVITING TENDER- Processing- 01/2026-27
Through e-Procurement mode only over https://Eproc-2.bihar.gov.in/Beltron

Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. invites under two bid systems from Reputed/Authorized Labour contractor for handling and processing of Raw seed approx 3.00 Lakh (Three lakh) Quintal annually.

1. Date of Downloading of Tender Document- **From 29.10.2026 to 20.11.2026**
2. Date of Pre-bid meeting on **05.11.2026 at 3:00 PM** (Tenderers may present in meeting for any queries/discussion at Bihar Rajya Beej Nigam Limited Patna).
3. Date of Submission/Uploading of Tender- U**pto 20.11.2026 at 3:00 PM**
4. Date & Time for opening of Technical Bid- **20.11.2026 at 5:00 PM**
5. Contact Person/Nodal Officer for queries- Name- Sri Rabindra Kumar Verma, Chief of Processing, Mob-9431266889
6. Financial Bid opening date - To be notified after technical bid.
7. Validity of Tender-01 (one) Year.
   For details, please visit the website:-
8. **brbn.bihar.gov.in**
9. https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html
10. **https://eproc2.bihar.gov.in**

Managing Director
Bihar Rajya Beej Nigam Ltd

PR- 014504 (B & C) 2026-27

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

कांडों की एसडीपीओ ने की समीक्षा

चरपोखरी (भोजपुर)। जिले के चरपोखरी थाने में दर्ज विभिन्न कांडों की समीक्षा को लेकर गुरुवार को पीरो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कन्हैया कुमार थाने पहुंचे।इस दौरान उन्होंने कांडों की अद्यतन स्थिति, अनुसंधान की प्रगति, लंबित मामलों के निष्पादन तथा महत्वपूर्ण कांडों में की जा रही कार्रवाई की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। समीक्षा के क्रम में एसडीपीओ ने संबंधित



अनुसंधानकर्ताओं से विभिन्न कांडों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा अनुसंधान में हो रही प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए। एसडीपीओ ने लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने तथा महत्वपूर्ण मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुसंधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस समीक्षा का उद्देश्य कांडों के अनुसंधान में तेजी लाना, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना तथा पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना रहा।

श्राद्ध कर्म से लौट रहे बाइक सवार चाचा भतीजो को वाहन ने मारी टक्कर, चाचा की मौत

आरा (भोजपुर)। आरा-बक्सर फोरलेन पर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के समीप गुरुवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चाचा-भतीजों को टक्कर मार दी। हादसे में चाचा की मौत हो गई। इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं जख्मी दोनों भतीजो को इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक सिकरहटा थाना क्षेत्र के हरपुर गांव वार्ड नंबर-3 निवासी स्व. नथुनी पाल के 43 वर्षीय पुत्र श्याम बिहारी पाल है। वह पेशे से किसान थे। वही जख्मियों में उसी गांव के लाल बिहारी पाल का 10 वर्षीय पुत्र सुमित पाल एवं 14 वर्षीय पुत्र अमित पाल शामिल है। तीनों रिश्ते में चाचा-भतीजे लगते है। इधर, मृतक के पुत्र अमरजीत पाल ने बताया कि उसके नाना का देहांत हो गया था। गुरुवार को उसके पिता अपने दो भतीजे सुमित पाल एवं अमित पाल के साथ बाइक द्वारा उन्ही के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए शाहपुर थाना क्षेत्र के रंडाडीह गांव अपने ससुराल गए थे। गुरुवार की रात जब वे दोनों भतीजे सुमित पाल एवं अमित पाल के साथ बाइक द्वारा वापस गांव लौट रहे थे। उसी दौरान बिलौटी गांव के समीप अज्ञात वाहन ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए शहर में स्थित निजी अस्पताल लाया गया।

व न्यायालय
सब जज-01
बिक्रमगंज, रोहतास
स्वत्व वाद सं.-467/2025
शिव शंकर शर्मा वगै. ....वादीगण
बनाम
रामाकान्त शर्मा वगै......... प्रतिवादीगण
नोटिश बनाम

(1) रामाकान्त शर्मा पिता- स्व. विलर शर्मा, (2) श्रीकान्त शर्मा पिता- स्व. विलर शर्मा, ग्राम-कुम्हारा, पो.-विश्वम्भरपुर, थाना-दिनारा, जिला रोहतास

चूं बजरिये इस गजट प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपलोगों के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा नजारत सम्मन वो रजिस्ट्री सममन की कार्यवाही की जा चुकी है, इसके बावजूद भी आपलोग उपस्थित नहीं हुए हें, इसलिए इस गजट प्रकाशन के माध्यम से आपलोगों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.11.26 को समय 10;30 बजे सुबह में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा इस वाद की काररवाई एकपक्षीय सुनवाई कर उचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

इसे सख्त ताकिद जाने।

इसे आज दिनांक 17.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

ह./
सब जज-01
बिक्रमगंज, रोहतास

नदी में डूबे युवक का शव तीसरे दिन बरामद

आरा (भोजपुर) शहर के नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा गांव के समीप मछली मारने के दौरान बुधवार को नदी में डूबे युवक का शव तीसरे दिन बरामद हुआ है। उसका शव टाउन थाना क्षेत्र के बिंद टोली मोहल्ला स्थित नदी से शुक्रवार की सुबह बरामद हुआ। शव मिलने से लोगों के बीच अफरा-तफरी का आलम रहा। जानकारी के अनुसार मृतक नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा दलित टोला निवासी छपित राम का 18 वर्षीय पुत्र सरसो मुसहर है। इधर, मृतक के स्वजन जोगिन्द्र प्रसाद ने बताया कि बुधवार की शाम करीब चार बजे वह अपने छोटे भाई नेपाली मुसहर के साथ चंदवा स्थित नदी किनारे मछली मारने के लिए गया था। उस दौरान उसका छोटा भाई नदी के दूसरी तरफ मछली मारने चला गया। उसी दौरान वह नदी में गिरकर डूब गया। तब उसके छोटे भाई द्वारा घर पर जाकर इसकी जानकारी दी गई। इसके पश्चात परिजन वहां पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बुधवार की शाम उसकी काफी खोज की। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद गुरुवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा गुरुवार की शाम तक शव की काफी तलाश की गई। लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच शुक्रवार की सुबह उसका शव बहते हुए शहर के बिंद टोली नदी में लगे जल में आकर फंस गया। सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे और उसके शव को पानी से बाहर निकाला। इसके पश्चात टाउन थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया।

हर मौसम में कर्तव्य पथ पर तत्पर भोजपुर पुलिस

आरा (भोजपुर)। प्रतिकूल मौसम और वर्षा की परिस्थितियों के बावजूद, आम जनजीवन को सुगम बनाए रखने तथा यातायात प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भोजपुर पुलिस के कर्मी अपने निर्धारित क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ कर्तव्य पथ पर तैनात हैं। ?भोजपुर पुलिस हर परिस्थिति में नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

न्यायालय, सब जज-6
भोजपुर, आरा
स्वत्व वाद संख्या 186/2025
साधु पासवान...........वादी
बनाम
दिनेश कुमार उर्फ दिनेश सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण
गजट बनाम-

(1) दिनेश कुमार उर्फ दिनेश सिंह पिता-बालेश्वर सिंह ग्राम- बड़हरा, थाना-चरपोखरी, जिला- भोजपुर।

चूं बजरिये इस गजट प्रकाशन के द्वारा आपलोगों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वादी ने मेरे न्यायालय में स्वत्व वाद दाखिल किया है, आपके विरुद्ध सम्मन मोसाना एवं रजिस्ट्री डाक से नोटिस भेजा गया लेकिन आप जान बुझकर हाजिर नहीं हो रहे है। आप दिनांक 18.12.26 को 10.30 बजे न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा वाद की सुनवाई एकपक्षीय कर दी जायेगी। इसे अति आवश्यक समझें।

ह./-
सब जज-6
भोजपुर, आरा
29.10.26

9/482/26

न्यायालय श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, आरा भोजपुर
मेट्रोमोनियल केस नं.- 503/2025
देवमुनि राम...........आवेदक
बनाम
किरण.............विपक्षी नोटिस बनाम - किरा पति-देवमुनि राम उर्फ देवमुनि कुमार, साकिन-रामनगर, पो.-सेदहां, थाना-तरारी, जिला-भोजपुर
गजट बनाम

चूं बजरिये इस गजट प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक/मुदई ने आपके विरुद्ध उपरोक्त वाद दाखिल किया है जिसमें आप कोर्ट से सम्मन वो रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा सूचना देने के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है। अत: आपको इस गजट प्रकाशन के माध्यम से सूचना दी जाती है कि आप दिनांक 16 माह 12 सन 2026 को समय 10.30 बजे दिन में न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में न्यायालय एक पक्षीय सुनवाई कर सकता है। इसे सख्त ताकिद जाने।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी

ह./
न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय आरा भोजपुर

9/482/26

व न्यायालय
सब जज-01
बिक्रमगंज, रोहतास
मो. नं.-टी.एस. नं.- 141/2026
दिनेश सिंह वगै. .....मुदईयान
बनाम
केशरी सिंह वगै............मुदालेहुम

नोटिस बनाम (1) केशरी सिंह पिता स्व. अम्बिका सिंह, (2) धारीछन सिंह पिता स्व. हरि राय, (3) कृष्णा सिंह पिता स्व. त्रिवेणी सिंह, (4) संतोष सिंह पिता स्व. बिहारी सिंह, (5) आशुतोष सिंह पिता स्व. बिहारी सिंह, (6) विपिन सिंह पिता स्व. जगदीश सिंह, (7) संजय सिंह पिता विजय सिंह, (8) पंकज सिंह पिता स्व. विजय सिंह, (9) नन्दु सिंह पिता स्व. मुनी राय, (10) बिरेन्द्र सिंह पिता स्व. मुनी राय, (11) हरेन्द्र सिंह पिताा स्व. मुनी राय, (12) पुनम कुंवर पति स्व. पप्पु सिंह, (13) अप्पु सिंह पिता स्व. ललन राय, (14) अंकु सिंह उर्फ पप्पु सिंह पिता स्व. ललन राय (15) शिवजी रा पिता स्व. संत कुमार सिंह। सभी निवासी ग्राम+पो.- कर्मा, थाना वो अंचल सूर्यपुरा, जिला-रोहतास (बिहार)

चूं बजरिये इस गजट प्रकाशन के द्वारा आपको आगाह किया जाता है कि उपरोक्त वाद के मुदई ने आपके विरुद्ध मेरे न्यायालय में एक नम्बरी मुकदमा दाखिल किया है, जिसमें आपके ऊपर सम्मन और रजिस्ट्री सम्मन के ताल (काररवाई) के बावजूद आप मेरे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए वो आपको इस गजट प्रकाशन के द्वारा आगाह किया जाता है कि दिनांक 03.11.2026 को 10.30 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरबी करे, अन्याि उपरोक्त वाद में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित कर दिया जायेगा। यह नोटिस मेरे दस्तखत वो मोहर से जारी किया गया है।

निांक 28.10.26

ह./
सिविल जज-07
सिविल कोर्ट, बिक्रमगंज
जिला-रोहतास (बिहार)

बिहार सरकार

समाहरणालय, सहरसा
(जिला नजारत शाखा)
Email ID:- zilanazaratsaharsa@gmail.com
-:: अल्पकालीन निविदा ::-

श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव-2026 के आयोजन से संबंधित निविदा

दिनांक 19, 20 एवं 21 नवम्बर-2026 को राजकमल क्रीड़ा मैदान, महिषी, सहरसा में आयोजित श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव, महिषी, सहरसा के अवसर पर टेन्ट, पंडाल, शामियाना, जेनरेटर सेट एवं अन्य विद्युत सामग्रियों को भाड़े पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों के लिए इच्छुक GST/निबंधित प्रतिष्ठान एवं अनुभवी आपूर्तिकर्ता से जिलाधिकारी, सहरसा को संबोधित दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निम्नांकित शर्तों पर दिनांक- 07.11.2026 के अपराह्न 02.00 बजे दिन तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 07.11.2026 को अपराह्न 03.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त अवसर पर अवश्य उपस्थित रहेंगें। सामग्रियों/सेवाओं का सूची निम्न प्रकार से है:-

Section- A
For logistic items/Services for cultural program & Seminar (At Mahishi village Raj Kamal playground) Date 19 to 21 Nov. 2026 (03 दिवसीय)
Section- B. (Date 19 to 21Nov. 2026)

1.विस्तृत जानकारी एवं शर्तो के लिए जिला नजारत शाखा, सहरसा/जिला के वेवसाईट https://saharsa.nic.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

जिलाधिकारी,
सहरसा।

PR- 014553 (District) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

बिहार सरकार

भोजपुर समाहरणालय, आरा
(जिला विधि प्रशाखा)
आवेदन आमंत्रण सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0नं0-19276/2019 (क्रिमी0 मिस0 नं0-28530/2019 में पारित आदेश दिनांक-21.08.2019 से उद्धभूत) में दिनांक-15.05.2026 को पारित आदेश एवं सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5913 दिनांक-23.07.2026 के आलोक में उत्पाद न्यायालय के संचालन हेतु निजी भवन को किराये पर लेने की आवश्यकता है। मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण, विभाग, बिहार पटना द्वारा अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शे के समरूप कोर्ट भवन होना ऐच्छिक है, जो निम्न प्रकार है:-

- Building Area Required - 100' x 50'
- Floor Required - G+2
- Ground Floor - Parking with Guard Room
- 1st Floor - 3BHK
  - a. Hall Size- 50'X30'
  - b. Room Size- 16'x16'
  - c. Room Size- 30'x20'
  - d. Room Size- 16'x16'
  - e. Toilet (Male, Female, Transgender & PH)
- 2nd Floor - Same as 1st Floor

निविदा की विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

PR- 014495 (District) 2026-27

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

बिहार सरकार

कार्यालय का नाम- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चौसा।

निविदा आमंत्रण की सूचना (ई-टेडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in)
NIT No- 05/2026-27

निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप (Eproc-2.0 के माध्यम से)
मानक निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप ₹ 25.00 लाख से 70.00 लाख तक की राशि के कार्यो के लिए (डबल बीड पद्धति)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता - कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चौसा।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि - दिनांक- 26/10/2026
3. संवेदक द्वारा निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि - दिनांक- 08/11/2026 को समय -11:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न
4. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान - दिनांक- 12/11/2026 को समय -11:00 से 14:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न, सभाकक्ष, नगर पंचायत, चौसा।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि - दिनांक- 17/11/2026 समय- 05:00 बजे तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि - दिनांक- 19/11/2026 समय- 03:00 बजे
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि - तकनीकी बीड में सफल होने के उपरांत
8. कार्य की विवरणी-

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु. में)	अग्रधन की राशि (online के माध्यम से) Website: - www. Eproc2. bihar.gov.in	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से) Website: - www.Eproc2. bihar.gov.in	Bid Processing fee (Through Online Payment हेतु प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत चौसा अन्तर्गत (1) बक्सर-सासाराम मुख्य पथ से मेराज रजक के घर तक पी0सी0सी0 निर्माण कार्य (2) बक्सर-सासाराम मुख्य पथ से मेराज रजक के घर होते हुए संतोष माली के घर तक आर0सी0सी0 नाली सह स्लैब निर्माण कार्य।	29,37,900.00	58,800.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month
2	नगर पंचायत चौसा कार्यालय के सामने बक्सर चौसा मार्ग पर सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य।	49,46,600.00	93,000.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month
3	नगर पंचायत चौसा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0-14 में न्यायीपुर में बैजनाथ राम के घर से मीरा देवी, चन्द्रमा राम के घर से गाँधी राम के घर होते हुए जर्नार्दन राम के घर तक, रामजस राम के घर से बेचु राम, व्यास जी राम, मुनी राम के घर होते हुए सनोज गोड़ के घर तक एवं अमीरचन्द अरुण मास्टर के घर तक एवं अन्य गलियों का नाली एवं पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	46,35,900.00	92,800.00	5000.00	As per eproc 2.0	03 (Three) Month

नोटः- Bidders Should submit Bid Processing fee through Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

09. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा state.bihar.gov.in/prdbihar मे देखा जा सकता है।

PR- 014462 (B & C) 2026-27

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, चौसा।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।